


न्यायालय में श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प कोर्ट रीवा जिला रीवा म0प्र0

397

401  
15.9.15



R. 5048-का/115

Rs. 20/-

1. शंभू नाथ ब्रा० आयु लगभग 58 वर्ष पिता श्री दिग्म्बर राम ब्रा० निवासी वार्ड कमांक 12 विकटगंज उमरिया थाना उमरिया जिला उमरिया म0प्र0
2. सुरेन्द्र नाथ आयु लगभग 56 साल पिता दिग्म्बर राम ब्रा० निवासी वार्ड कमांक 12 विकटगंज उमरिया थाना उमरिया, जिला उमरिया म0प्र0
3. राजेन्द्र नाथ आयु लगभग 54 साल पिता दिग्म्बर निवासी विकटगंज उमरिया थाना उमरिया जिला उमरिया म0प्र0 हाल मुकाम सिंगरौली जिला सिंगरौली म0प्र0
4. नारेन्द्र नाथ आयु 62 साल पिता दिग्म्बर निवासी विकटगंज उमरिया थाना उमरिया, जिला उमरिया म0प्र0 हाल मुकाम जबलपुर जिला जबलपुर म0प्र0
5. महेन्द्र नाथ आयु लगभग 50 साल पिता दिग्म्बर निवासी विकटगंज उमरिया थाना उमरिया, जिला उमरिया म0प्र0
6. जितेन्द्र नाथ आयु 48 साल पिता दिग्म्बर निवासी विकटगंज उमरिया थाना उमरिया, जिला उमरिया म0प्र0
7. रवेन्द्र नाथ पिता दिग्म्बर निवासी विकटगंज उमरिया थाना उमरिया, जिला उमरिया म0प्र0.....निगरानीकर्तागण

बनाम

रुकमणी बेवा दत्ता राम शर्मा निवासी गोरखपुर ककरईया पारा पो० गौरेला पेन्ड्रा  
रोड रेलवे स्टेशन जिला बिलासपुर ४००५०.....उत्तरदाता

श्री रुक्मणी बेवा  
दत्ता राम शर्मा  
प्रकरण कोर्ट रीवा  
15.9.15

मेरी कोर्ट रीवा  
राजस्व मण्डल

संस्कृति

निगरानी विरुद्ध न्यायालय राजस्व निरीक्षक वृत्त  
उमरिया तहसील बांधवगढ़ जिला उमरिया म0प्र0 के  
राजस्व प्रकरण कमांक 11/अ-12/2014-2015  
आदेश दिनांक 17.04.2015  
अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू०रा०संहिता 1959

मान्यवर,

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – निग.- 5048-तीन/2015

जिला-उमरिया

शम्भूनाथ आदि विरुद्ध रुक्मणी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-01-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं।</p> <p>3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त उमरिया तहसील बांधवगढ़, जिला- उमरिया के प्रकरण क्रमांक 11/अ-12/2014-15 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 17-04-2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई थी ।</p> <p>4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरुद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये हैं ।</p> <p>5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 25-03-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।</p> <p><i>(आर.के.जैन)</i> सदस्य</p>	 <i>23/01/19</i>